भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3225

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुनियादी सुविधाएं

3225. श्री नारायण तातू राणे:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क. क्या सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जा रही सुविधाओं का संज्ञान लिया है;

ख. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके वेतन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

ग. उनके लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुपालन की स्थिति, उचित मुआवजा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

घ. देशभर में, विशेषकर रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे कामगारों की कुल संख्या कितनी है और उनका वर्तमान पारिश्रमिक ढांचा कितना है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और नियोजन के लिए ज़िम्मेदार है और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनवाड़ी सहायिकाएं स्थानीय समुदाय की "मानद कार्यकर्त्रियां" हैं, जो स्थानीय समुदाय की सहायता के लिए बाल देखरेख और विकास

के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय दिया जाता है, जिसमें समय-समय पर वृद्धि की जाती है। भारत सरकार ने दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से केंद्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000/- रुपये से बढ़ाकर 4,500/- रुपये प्रति माह; लघु- आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2,250/- रुपये से बढ़ाकर 3,500/- रुपये प्रति माह; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500/- रुपये से बढ़ाकर 2,250/- रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/टॉप अप भी दे रहे हैं, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त टॉप अप का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह का कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

देश भर में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन प्रदान करके तकनीकी रूप से समर्थ बनाया गया है। पोषण ट्रैकर एक मोबाइल फ़ोन एप्लिकेशन है जिसने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बना दिया है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही वे आंगनवाड़ी में चल रही सभी गतिविधियों की तत्समय निगरानी कर पाती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित सहित विभिन्न पहल की गई हैं:

I. पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों की पूर्ति के अधीन 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं।

II. अवकाश: 20 दिन का वार्षिक अवकाश और 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश, गर्भपात होने पर एक बार में 45 दिनों का सवेतन अवकाश।

III. पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित कराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है। यह वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

IV. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत, 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल) के जीवन कवर के लिए बीमा लाभ प्रदान किए गए हैं एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, 18-59 वर्ष के आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है।

V. सेवानिवृत्ति की तारीख: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तारीख अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

VI. वित्त वर्ष 2024-25 में बजट घोषणा के अनुसरण में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखरेख कवरेज प्राप्त है।

****

अनुलग्नक-I

"आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुनियादी सुविधाएं" के संबंध में दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3225 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) 2025-26 के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त टॉप-अप का ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय (प्रति माह)	आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय (प्रति माह)
1	आंध्र प्रदेश	7,000	4,750
2	बिहार	2,500	1,750
3	छत्तीसगढ़	5,500	2,750
4	गुजरात	5,500	3,250
5	हरियाणा	10,250	5,650
6	हिमाचल प्रदेश	5,500	3,250
7	जम्मू एवं कश्मीर	600	300
8	झारखंड	5,000	2,500
9	कर्नाटक	7,000	4,500
10	केरल	5,700	4,300
11	मध्य प्रदेश	8,500	4,250
12	महाराष्ट्र	8,500	5,250
13	ओडिशा	5,500	2,750
14	पंजाब	5,500-6,500	2,750-3,250
15	राजस्थान	5,510	3,674
16	तमिलनाडु	3,200	1,850
17	तेलंगाना	9,150	5,550
18	उत्तर प्रदेश	1,500	750
19	उत्तराखंड	4,800	3,000
20	पश्चिम बंगाल	4,500	4,550
21	अरुणाचल प्रदेश	3,000	3,000
22	असम	2,000	1,000
23	मणिपुर	1,000	600
24	मेघालय	3,000	1,000
25	मिजोरम	450	500

26	नागालैंड	शून्य	शून्य
27	सिक्किम	7,000	4,500
28	त्रिपुरा	3,500-5,946	2,750-4218
29	अंडमान और निकोबार	7,500	5,750
30	गोवा	5,500 -13,500	3,750 - 6,750
31	पुद्दुचेरी	1,950	2,125
32	चंडीगढ़	3,600	1,800
33	लद्दाख	1,300	650
34	दिल्ली	6,720	3,360
35	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3,500	1,750
36	लक्षद्वीप	5,500	4,750

अनुलग्नक-II

“आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुनियादी सुविधाएं” के संबंध में दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3225 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

जुलाई, 2025 की स्थिति के अनुसार, पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री
1	आंध्र प्रदेश	54944
2	बिहार	110161
3	छत्तीसगढ़	52002
4	गुजरात	50277
5	हरियाणा	23194
6	हिमाचल प्रदेश	18580
7	जम्मू एवं कश्मीर	28082
8	झारखंड	37812
9	कर्नाटक	66098
10	केरल	33051
11	मध्य प्रदेश	95058
12	महाराष्ट्र	108560
13	ओडिशा	73475
14	पंजाब	25343
15	राजस्थान	60625
16	तमिलनाडु	43940
17	तेलंगाना	32782
18	उत्तर प्रदेश	182348
19	उत्तराखंड	19778
20	पश्चिम बंगाल	105210
21	अरुणाचल प्रदेश	6225
22	असम	59801
23	मणिपुर	10747
24	मेघालय	6153
25	मिजोरम	2244
26	नागालैंड	3980
27	सिक्किम	1308
28	त्रिपुरा	10275
29	अंडमान और निकोबार	720
30	गोवा	1240

31	पुद्दुचेरी	582
32	चंडीगढ़	435
33	लद्दाख	1163
34	दिल्ली	10488
35	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	404
36	लक्षद्वीप	58
	कुल	**1337143**

*****